न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–61 / 20 (2020 / 00092) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लेहरू पिता मांगु गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मेघा पिता करमीया भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारू पिता केला गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दयाराम पिता दोला गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छोगा पिता दोला गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तुलछा पिता चतुर्भुज गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भैरा पिता चतुर्भज गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उंकार पिता गंगाराम गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर ज़िला भीलवाड़ा
9. रामचन्द्र पिता हजारी लुहार निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक 06.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम राणास पटवार तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 541, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 कुल किता 11 कुल रकबा 3.16 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 22.05.2015 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.05.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर जिसके प्रकरण संख्या 52 / 15 दर्ज किया गया जिसमें विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.06.2015 को निर्णय पारित कर विधिवत पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी किया गया इस आदेश के जारी होने के बाद विपक्षी संख्या 1 की ओर से इस न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 धारा 151 जाब्जा दिवानी के तहत् पेश कर प्रकरण में दोतरफा कार्यवाही करा विपक्षी को सुनवाई का अवसर चाहा गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः दिनांक 13.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुना गया विपक्षी द्वारा इस प्रकरण में मुख्य कथन किया कि विपक्षी की साबिक खातेदारी भूमि आराजी नम्बर

280 / 1अ रकबा 5 बीघा था जिसके नवीन खसरा नम्बर 540 दर्ज हुए जिसके नक्शे में परिवर्तन कर विपक्षी का आराजी का कुछ भाग प्रार्थी की आराजी में दर्शा दिया जिसकी दुरस्ती हेतु विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है अतः उसके निस्तारण के बाद पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करावे।

प्रस्तुत प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया गया और विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन प्रकरण 136 एलआरएक्ट 09 / 2015 को भी इसी के साथ निस्तारित करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रकरण संख्या 09 / 2015 धारा 136 एलआरएक्ट का साथ अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण 09 / 2015 में प्रार्थी लक्ष्मीलाल द्वारा अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 540 के नक्शे को शुद्व कराने का आवेदन पेश किया है जबकि विपक्षी लक्ष्मीलाल द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 धारा 151 जाब्ता दिवानी में अकित आराजी नम्बर 1540 दर्ज किया गया है इस आराजी से सम्बधित धारा 136 का कोई आवेदन नही है। शायद यह लिपिकीय त्रुटि है। धारा 136 के प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपार्ट अनुसार आराजी नम्बर 540 का भाग प्रार्थी की आराजी नम्बर 541 की तरफ संशोधन की आवश्यकता नही है ओर प्रकरण संख्या 09 / 2015 का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश जारी किये जाने का कोई आपत्ति नही है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 541, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 कुल किता 11 कुल रकबा 3.16 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—61 / 20 (2020 / 00092) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. उंकारसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निवासी खुटियां तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता कस्तुर गाडरी निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 29.07.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास पटवार तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 541, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 कुल किता 11 कुल रकबा 3.16 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / —रूपये सम्बधित भू– अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

6.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: